सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 10, गुरूवार, *शाके* 1942–दिसम्बर 31, 2020 *Pausa 10, Thursday, Saka 1942-December 31, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2020

जी.एस.आर.235 :-''**राजस्थान राज्य अधिस्वीकृत पत्रकार चिकित्सा सुविधा योजना-2005**'' में निम्न संशोधन किये जाते है:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-**

(1) इन नियमों का नाम ''**राजस्थान राज्य अधिस्वीकृत तथा सवैतनिक ग़ैर अधिस्वीकृत पत्रकार चिकित्सा सुविधा योजना (संशोधन)-2020**'' होगा।

(2) यह संशोधन तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2**. वर्तमान नियमों में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :-**

वर्तमान नियम के बिन्दु संख्या-3 (1) में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :-

यह योजना अधिस्वीकृत पत्रकारों के अतिरिक्त सवैतनिक गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों पर भी लागू होगी।

उक्त योजना से संबंधित अन्य नियम/शर्तें अधिसूचना दिनांक 27.05.2005 के अनुसार प्रभावी रहेंगे।

उक्त अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 102005572 दिनांक 24.12.2020 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

[संख्या एफ.6(2)गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./2020]

महेन्द्र सोनी,

विशिष्ट शासन सचिव,

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

Government Central Press, Jaipur.